मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

पटना, दिनांकः– 13-09-2024

विषयः– ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति के संबंध में।

1. राज्य के किसी भी कोने से अधिकतम पाँच घंटे में राजधानी पहुँचने के राज्य सरकार के सपनों को साकार करने के लिए 250 तक की आबादी वाले सभी अनजुड़े टोलों/बसावटों को चरणबद्ध तरीके से बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना कार्यान्वित है। उपग्रह सर्वेक्षण के आधार पर शैक्षणिक एवं समाजिक रूप से पिछड़े 100 से 249 तक की आबादी वाले टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु ग्रामीण टोला सम्पर्क निश्चय योजना (GTSNY) के तहत निर्माण कार्य लगभग समाप्ति पर है।

   इसके अतिरिक्त पूर्व से ही भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 11 IAP जिलों में 250 तक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को तथा 27 NON-IAP जिलों में 500 तक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान किया गया है। वर्त्तमान में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सम्पर्कता हेतु कई छूटे हुए महत्वपूर्ण एवं जनोपयोगी पुल/पथ/पहुँच पथ इत्यादि का निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य कराया जाना अत्यावश्यक है। इस योजना के तहत निम्नांकित योजनायें ली जा सकेगी :–

   (i) पूर्व से निर्मित कई जर्जर पुल की जगह नए पुल का निर्माण।
   (ii) पूर्व से निर्मित पथ में Missing Bridge का निर्माण।
   (iii) बाढ़ से क्षतिग्रस्त पुल की जगह नये पुल का निर्माण।
   (iv) निर्मित पुलों के पहुँच पथ का निर्माण।
   (v) Missing Link Road का निर्माण।
   (vi) अद्यतन असम्पर्कित अवशेष टोलों/बसावटों को सम्पर्कता प्रदान करने हेतु पथों/पुल–पुलियों का निर्माण।
   (vii) "जनता के दरबार में मुख्यमंत्री" कार्यक्रम से अच्छादित योजना।
   (viii) माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक सभा में की गयी घोषणा से संबंधित पथों/पुलों का निर्माण।

2. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार अपने बजट/भारत सरकार से प्राप्त राशि एवं वाह्य श्रोतों से करेगी। इस राज्य योजना के लिए नये बजट कोड, बजट शीर्ष/उपशीर्ष एवं निधि की उपलब्धता अलग से योजना एवं विकास विभाग तथा वित्त विभाग के द्वारा किया जायेगा।

3. इस योजना हेतु प्राक्कलन IRC की सुसंगत संहिताओं के आलोक में विभाग द्वारा तकनीकी जॉचोपरान्त बिहार लोक निर्माण संहिता के अनुसार संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग से तकनीकी अनुमोदन प्राप्त कर वित्त विभाग, बिहार सरकार के नियमानुसार सक्षम प्राधिकार से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त कर कार्यो का मानक विशिष्टियों के अनुरूप क्रियान्वयन बिहार लोक निर्माण विभाग संहित एवं अन्य सुसंगत संहिताओं के अनुसार संपन्न कराया जायेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध सम्पर्कता के लिए पुल–पुलियों /पथों के निर्माण का प्राथमिकता निर्धारण संबंधित जिला के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति के द्वारा किया जायेगा। जिला संचालन समिति का स्वरूप मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना से संबंधित पथ निर्माण विभाग के संकल्प संख्या सह पठित ज्ञापांक प्र० 8/पुल (प्राक्कलन)–08–10/2006–6801(S) दिनांक 01.07.2006 के कंडिका 2.2 के अनुरूप रहेगा। 100 मीटर से ज्यादा लम्बाई के पुलों का निर्माण बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा एवं शेष सभी योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा किया जायेगा। इस सीमा तक ग्रामीण कार्य विभाग के संचिका संख्या मु0 अ0–4–सेतु–06–31/09 के द्वारा पूर्व से निर्गत संकल्प को संशोधित समझा जायेगा। राशि की उपलब्धता के अनुसार अंतिम चयन एवं प्रशासनिक स्वीकृति सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभाग द्वारा प्रदान की जायेगी।
5. इस योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक डी0 पी0 आर0 (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) परामर्शी, परियोजना प्रबंधन ईकाई, वित्तीय एवं गुणवत्ता विशेषज्ञ, पुल विशेषज्ञ, आधुनिक तकनीकी इकाई, परिवहन इत्यादि की सेवाएँ, सरकारी/गैर सरकारी सेवा से सेवानिवृत कर्मियों तथा वाह्य श्रोत के माध्यम से सेवाएँ आवश्यकतानुसार ली जा सकेगी। प्रशासी विभाग द्वारा समय–समय पर इससे संबंधित विस्तृत निदेश निर्गत किया जायेगा।
6. इस योजना की कुल आकलित राशि का 2.25 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय एवं 01 प्रतिशत आकस्मिक व्यय की राशि का प्रावधान विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में आवश्यकतानुसार किया जायेगा, जिसका व्यय डी0पी0आर0 (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) तैयार करने, गुणवत्ता अनुश्रवकों के मानदेय, परिसम्पत्ति प्रबंधन योजना, परामर्शी/विशेषज्ञ सेवा, मानव संसाधन की सेवा, निरीक्षण, परिवहन, यात्रा एवं अन्य विविध कार्य हेतु किया जा सकेगा।
7. योजना के तहत कार्यो का क्रियान्वयन गुणवत्तापूर्ण किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। इसके लिए त्रिस्तरीय जॉच की व्यवस्था के साथ–साथ राज्य में अवस्थित अभियंत्रण महाविद्यालयों के तकनीकी विशेषज्ञ एवं राज्य में अवस्थित गुणवत्ता जॉच एवं नियंत्रण प्रमंडल का सहयोग लिया जायेगा। त्रिस्तरीय नियमित जॉच की व्यवस्था निम्नवत करने का प्रस्ताव है :–

(क) प्रथम स्तर पर कार्य प्रमंडल/कार्य अंचल/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के द्वारा मानक विशिष्टियों के अनुरूप कार्यो का निर्माण एवं तदोपरान्त सतत् अनुरक्षित रखने हेतु समय–समय पर निर्धारित जाँच की जायेगी।

(ख) द्वितीय स्तर पर कार्य प्रमंडल स्तर पर सृजित 108 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं द्वारा योजनाओं की जाँच करायी जायेगी। कार्य प्रमंडल स्तर पर सृजित जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला को और भी सुदृढ किया जायेगा।

(ग) तृतीय स्तर पर कार्य अंचल स्तर पर सृजित कुल 22 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला एवं मुख्य अभियंता स्तर पर सृजित कुल 06 जाँच एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं को और भी सुदृढ़ करते हुए योजनाओं की जाँच करायी जायेगी।

(घ) मुख्यालय द्वारा गठित उड़नदस्ता जाँच दल एवं वरीय पदाधिकारियों से भी आवश्यकतानुसार जाँच करायी जा सकेगी।

8. इस योजना अंतर्गत निर्माण पर किये जाने वाले व्यय का सम्पोषण नव निर्धारित योजना शीर्ष के अंतर्गत कराया जायेगा एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य पर होने वाले व्यय का वहन शीर्ष 3054 से भारित होगा।
9. इस योजना के तहत आवश्यकतानुसार कार्य प्रमंडलवार/कार्य अवर अनुमंडलवार योजनाओं का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
10. इस योजनान्तर्गत जिन जल निकायों पर सेतु का निर्माण किया जायेगा, उनसे संबंधित प्रशासी विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी एवं उनकी शर्तो एवं बंधेजों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
11. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध सम्पर्कता के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव पर बिहार मंत्रीपरिषद् की दिनांक 10.09.2024 की बैठक में मद संख्या–40 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

12/9/2024

(दीपक कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 -3012 /पटना, दिनांकः– 13-09-2024

प्रतिलिपि :–मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 3012 /पटना, दिनांकः– 13-09-2024

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 3012 /पटना, दिनांकः– 13-09-2024

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए इसकी पाँच सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 3012 /पटना, दिनांकः– 13-09-2024

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 -3012 /पटना, दिनांकः– 13-09-2024

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग तथा मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :– मु०अ० (नि०) रा०यो० 561/2024 - 3012 /पटना, दिनांकः– 13-09-2024

प्रतिलिपि :– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को माननीय मंत्री के अवलोकनार्थ उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

अपर मुख्य सचिव